94 7 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल (बोर्ड) में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अधिकतम 10 निजी कंपनियों (सीपीएसई के लिए अधिकतम 3 की मौजूदा सीमा को बरकरार रखते हुए) की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी सीपीएसई में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए जिस पर विचार किया जा रहा है, वह निदेशक के रूप में कार्य कर सकता है ।

2. सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए जिस व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है, के लिए संशोधित पात्रता संबंधी मानदंडों की एक प्रतिलिपि संलग्न है, सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए डीपीई को प्रस्तुत किए जाने वाले नामों का पैनल तैयार करते समय तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुामेदन प्राप्त करने के लिए खोज समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते समय संलग्न मानदंडों को ध्यान में रखा जाए और उनका संदर्भ लिया जाए।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल (बोर्ड) में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में चयन/नियुक्ति के लिए मानदंड

(क) <u>अनुभव संबंधी मानदंड</u>

i. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जिसे संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर वाले स्तर पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है।

ii. ऐसे व्यक्ति, जो किसी सीपीएसई के सीएमडी/सीईओ अथवा किसी अनुसूची 'क' सीपीएसई के प्रकार्यात्मक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। किसी सीपीएसई के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालकों और पूर्व प्रकार्यात्मक निदेशकों की उस सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, जहां से वे सेवानिृत्त हुए हैं। किसी सीपीएसई के सेवारत मुख्य कार्यपालक/निदेशक किसी अन्य सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

iii. ऐसे शिक्षाविद/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर, जिन्हें संगत क्षेत्र अर्थात प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन अथवा विधि में दस वर्ष से अधिक अध्यापन अथवा अनुसंधान का अनुभव है।

iv. ऐसे प्रतिष्ठित पेशेवर, जिन्हें कंपनी के प्रचालन क्षेत्र के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक का अपेक्षित अनुभव प्राप्त है।

v. ऐसी निजी कंपनियों के भूतपूर्व सीईओ, जो कंपनी (क) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध है अथवा (ख) गैर सूचीबद्ध है परंतु लाभ कमाने वाली है और उसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 250 करोड़ रुपए का है।

vi. उद्योग जगत, कारोबार अथवा कृषि या प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट रिकॉर्ड रखने वाले ख्यातिलब्ध व्यक्ति।

vii. आपवादिक स्थितियों में सीपीएसई के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध निजी कंपनियों के सेवारत सीईओ और निदेशकों पर भी विचार किया जा सकता है।

(ख) <u>शैक्षणिक योग्यता संबंधी मानदंड</u>

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक की डिग्री

(ग) <u>आयु संबंधी मानदंड</u>

आयु सीमा 45–65 वर्ष के बीच (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए। तथापि इसे लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से किसी ख्यातिलब्ध पेशेवर के लिए 70 वर्ष तक की अधिकतम सीमा के दायरे में शिथिल किया जा सकता है।

(घ) <u>पुनर्नियुक्ति</u>

गैर सरकारी निदेशकों की 3 वर्ष की अवधि वाले अधिकतम 2 कार्यकाल पूरा करने के पश्चात उसी सीपीएसई में पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(ड.) <u>एक साथ कितने सीपीएसई में नियुक्ति की संख्या</u>

किसी भी व्यक्ति को एक बार में 3 से अधिक सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(च) <u>निजी कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्यकाल</u>

किसी सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए जिस व्यक्ति पर विचार किया जा रहा है, उसे 10 से अधिक निजी कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 9 (15)/2012–जीएम, दिनांक : 31 जुलाई 2013)

*****